



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 385 राँची, मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 जुलाई, 2022

संख्या-1/आ0-515/2022 का०-4094--श्री सैय्यद रियाज अहमद, भा.प्र.से. (झा:2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी को महिला (खूंटी) थाना काण्ड संख्या-14/22 दिनांक 04.07.2022, धारा-354(ए)-(1)(i) (ii)/509 भा.द.वि., परिवर्तित धारा-354(ए)-(1)(i)(ii)/509 भा.द.वि. में प्रारम्भिक जांच के तहत दिनांक 05.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा 48 घंटे से अधिक अवधि तक न्यायिक हिरासत में हैं ।

अतएव श्री अहमद को अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम- 3(2)A तथा 3(3) के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2022 के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में (हिरासत से मुक्त होने के पश्चात) श्री अहमद का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है ।

3. श्री अहमद को अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4(i) के अन्तर्गत निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
